न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 125/2022

1. राजबाला पत्नी दिलबाग सिंह जाति खाती निवासी ग्राम सुरतपुरा तहसील राजगढ़ जिला चुरु
2. सोमवीर पि0 दिलबाग सिंह जाति खाती निवासी ग्राम सुरतपुरा तहसील राजगढ़ जिला चुरु
3. सहदेव पि0 दिलबाग सिंह जाति खाती निवासी ग्राम सुरतपुरा तहसील राजगढ़ जिला चुरु
4. रामकौर पि0 दिलबाग सिंह जाति खाती निवासी ग्राम सुरतपुरा तहसील राजगढ़ जिला चुरु
5. राजदुलारी पि0 दिलबाग सिंह जाति खाती निवासी ग्राम सुरतपुरा तहसील राजगढ़ जिला चुरु

.....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

.... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, एवं 136 एल. आर.एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :– 29.08.23**

यह वादपत्र वादी की ओर से अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट व 88 आरटीएक्ट में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण के पति/पिता दिलबागसिंह के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला का चक 4 एसएसएम मु0नं0 88/1, 17, 25 कुल 7.3341 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि दिनांक 11.101982 को भूमिहीन आवंटन हुई थी तथा उक्त रकबा वादीगण के पति/पिता के नाम से दर्ज है जो कि राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पति/पिता की जाति खाती की बजाय जाट दर्ज है। वादीगण के पति/पिता के नाम का रकबा तहसील खाजूवाला का चक 4 एसएसएम मु0नं0 88/1, 17, 25 में कुल 7.3341 हैक्टर क0/अ0क0 कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पति/पिता की जाति जाट के बजाय खाती की घोषणा कर दुरुस्त कर अंकन करने के आदेश फरमाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम वादपत्र धारा 136 एलआरएक्ट व धारा 88 आरटीएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी द्वारा वादपत्र के पक्ष में मृत्युप्रमाण पत्र, वारिसप्रमाणपत्र, आवंटन पत्रावली की नकल प्रति प्रस्तुत की। जिसमें मूल आवंटन पत्रावली के आवेदनपत्र, तहसीलदार तस्दीक में जाति खाती अंकित है। आंवटन आदेश जारी करते वक्त पट्टे में जाट लिखा गया। तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार वादगत भूमि दलबागसिंह पुत्र शुभराम जाति जाट सा0 सूरतपुरा तहः राजगढ़ जिला चुरू खातेदार के नाम दर्ज है। बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अध्ययन, अवलोकन व बहस पर मनन किया गया जिसके आधार पर वादीगण के पति/पिता की जाति जाट के बजाय खाती दुरुस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है क्योंकि मूल आवंटन पत्रावली के आवेदन पत्र , तहसीलदार तस्दीक में जाति खाती अंकित है एवं पट्टे में सहवन से जाट अंकित होना प्रतीत होता है। अतः वादीगण का वाद धारा 88 आरटीएक्ट, धारा 136 एलआरएक्ट व 151 सीपीसी अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाता है तथा चक 4 एसएसएम मु0नं0 88/1, 17, 25 में कुल 7.3341 हैक्टर क0/अ0क0 कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पति/पिता की जाति जाट के बजाय खाती की घोषणा कर दुरुस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक अमलदरामद करें।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)